भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5644

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में संरचनात्मक समस्या

5644. श्री आदित्य यादव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायपालिका को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक समस्याओं जैसे लंबित मामलों, पुरातन प्रक्रियाओं और स्थगन की संस्कृति का समाधान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : संरचनात्मक मुद्दे, जैसे कि मामलों का लंबन, अप्रचलित प्रक्रियाएं तथा स्थगन की संस्कृति न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार की संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अनिवार्य रूप से मामलों के त्वरित निपटान तथा लंबन को कम करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता है। इस ओर, सरकार ने न्यायपालिका के द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितकी तंत्र का उपबंध करने के लिए अनेकों पहल की हैं, जो निम्नानुसार है:-

i. न्याय परिदान तथा विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन अगस्त, 2011 में दो उद्देश्यों, प्रणाली में विलंब तथा बकाया को कम करने के द्वारा सुगम्यता में वर्धन और निष्पादन मानकों तथा क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही में बढ़ोतरी के लिए स्थापित किया गया था। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकायों तथा लंबन के चरणबद्ध परिनिर्धारण के लिए समन्वयित दृष्टिकोण को चला रहा है, जो अन्य बातों के साथ, न्यायालयों, जिसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, स्वीकृत संख्या में वृद्धि तथा अधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति तथा विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः इंजीनियरी और मानव संसाधन विकास पर जोर भी है, के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित करता है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, अधिवक्ता हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष, जो विभिन्न पणधारियों, जिसके अंतर्गत मुवक्किल, भी है, को न्याय परिदान में सहायता के लिए उनका जीवन सुगम बनाता है, के निर्माण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां जारी की जा रही हैं। 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ से 11,886.29 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन,

30.06.2014 की स्थिति के अनुसार, न्यायालय हॉल की संख्या 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 को 22,062 हो गई है तथा 30.06.2014 की स्थिति के अनुसार आवासीय युनिटों की संख्या 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 को 19,775 हो गई है।

iii. और, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के चरण-1 और चरण-2 के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के आईटी सामर्थ्य के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालय कंप्यूटरीकृत हुए थे। 99.5% न्यायालय परिसरों को डब्ल्यूएएन (WAN) कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। 3,240 न्यायालय परिसरों तथा 1,272 तत्स्थानी कारागारों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा समर्थ कर दी गई है। 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, जिला न्यायालयों में 1,572 ई-सेवा केंद्र तथा उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र कार्यात्मक किए गए हैं, जिससे अधिवक्ताओं और मुवक्किलों को नागरिक केंद्रीक सेवाएं प्रदान करने के द्वारा डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, इन न्यायालयों ने 6.95 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान किया है तथा 736.11 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूला है। 13.09.2023 को मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपए के परिव्यय पर ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 का अनुमोदन किया है। चरण-1 तथा चरण-2 के अभिलाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण-3 डिजिटल, ऑनलाइन तथा कागजविहीन न्यायालयों की ओर बढ़ने के द्वारा न्याय की सुगमता को बढ़ाने की व्यवस्था प्रारंभ करने का उद्देश्य रखता है। यह नवीनतम प्रौद्योगिकी, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन, आदि निगमित करने का आशय करता है, जिससे सभी पणधारियों को प्रगतिशील न्याय परिदान और अधिक सस्ता, आसान तथा सुगम्य बनाया जा सके।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां नियमित आधार पर भर रही है। 01.05.2014 से 31.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। उसी अवधि के दौरान, उच्च न्यायालयों में 1,034 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 794 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए थे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर अब तक 1,122 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत तथा कार्यरत संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:-

आज तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
31.03.2025	25,791	20,459

स्रोतः न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरना, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तथा संबद्ध उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों की स्थापना की जा चुकी है। बकाया समितियों की स्थापना जिला न्यायालयों के अधीन भी की गई है।

vi. 14वें वित्तीय आयोग के संरक्षण के अधीन त्वरित निपटान न्यायालय, जघन्य अपराधों के मामलों, मामले जिनके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक, महिला, बालक आदि भी हैं, के व्यौहार के लिए स्थापित किए गए थे। 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देशभर में 857 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यात्मक हैं। त्वरित निपटान दंड मामलों, जिनके अंतर्गत निर्वाचित संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य भी हैं, के निपटान के लिए नौ(9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस(10) विशेष न्यायालय कार्यात्मत हैं। और, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग तथा पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए स्कीम अनुमोदित की है। 28.02.2025 की स्थिति के

अनुसार, देशभर में 745 एफटीएससी, जिसके अंतर्गत 404 अनन्य रूप से पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालय 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यात्मक हैं, जिनमें 3,13,000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया है।

vii. न्यायालयों के लंबन को कम करने तथा अनवरूधता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न विधियों, जैसे पराक्रम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 तथा माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019, का संशोधन किया है।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों का पूरे दिल से संवर्धन किया गया है। तद्नुसार, अगस्त, 2018 में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामलों में पूर्व-संस्था मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) को अनिवार्य बनाया जा सके। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिए, सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का और संशोधन किया है। माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 1996 में विवादों के त्वरित निपटान की शीघ्रता के लिए वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधन किए गए हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन मामला सुनवाई प्रबंधन के लिए एक उपबंध है, जो मामले के दक्ष, प्रभावी तथा प्रयोजनपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए के उपबंध करता है, ताकि विवादों का समयबद्ध और पारिमाणिक समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की, मामले की जीवन अवधि के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवादों के समाधान की संभावना की खोज में, असमय पहचान में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए पुरः स्थापित एक और नूतन विशेषता कलर बैंडिंग की प्रणाली है, जो स्थगन की संख्या को सीमित करती है, जिसे किसी वाणिज्यिक विषय में तीन को अनुदत्त किया जा सकता है तथा न्यायाधीशों को उनके लंबन की स्थिति के अनुसार, मामलों के सूचीकरण के बारे में सतर्क करता है।

ix. लोक अदालत, आम जनता को उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिन विवाद समाधान तंत्र है। यह ऐसा मंच है, जहां विधि के न्यायालय या मुकदमेबाजी-पूर्व अवस्था में लंबित विवादों और मामलों को सौहार्दपूर्णतया निपटाया जाता/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत द्वारा दिए गए पंचाट को सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाता है तथा वह अंतिम होती है और सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होती है और उसके विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत स्थायी स्थापन नहीं है। सभी ताल्लुक/जिला और उच्च न्यायालयों में पूर्व-नियत तारीख पर एक ही समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।

अंतिम चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मुकदमेबाजी-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
योग	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

x. सरकार ने 2017 में, टेली-विधि कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों और टेली-विधि मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूरभाष तथा चैट

सुविधाओं के द्वारा पैनल के अधिवक्ताओं से विधिक सलाह तथा परामर्श लेने वाले जरूरतमंद तथा अहितकर वर्गों को जोड़ने वाले प्रभावी तथा विश्वस्त ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म का उपबंध करता है।

* टेली-विधि डाटा का प्रतिशत-वार ब्रेक अप

प्रवर्ग	रजिस्ट्रीकृत मामले	प्रतिशत-वार ब्रेक अप	सलाह समर्थ	प्रतिशत-वार ब्रेक अप
लिंग वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरूष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति प्रवर्ग वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
ओबीसी	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अ.जा.	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
आ.ज.जा.	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
योग	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*28.02.2025 को यथास्थिति डाटा

xi. देश में निःस्वार्थ संस्कृति तथा निःस्वार्थ वकालत के संस्थाकरण के लिए प्रयास किए गए हैं। एक प्रौद्योगिक ढांचा खड़ा किया गया है, जहां अधिवक्ता स्वेच्छा से निःस्वार्थ कार्य के लिए उनका समय और सेवाएं दे सकते हैं और न्यायबंधु (एन्ड्रॉइड और आईओएस तथा ऐप्स) पर निःस्वार्थ अधिवक्ताओं के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्यायबंधु सेवाएं उमंग मंच पर भी उपलब्ध हैं। अधिवक्ताओं का निःस्वार्थ पैनल राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है। उदीयमान अधिवक्ताओं के मन में निःस्वार्थ संस्कृति को बैठाने के लिए 109 विधि विद्यालयों में निःस्वार्थ क्लब आरंभ किए जा चुके हैं।

****